292

(Authoritative English Text of this Department Notification No.IT-B(1)-3/2013, dated 25.07.2017 as required under Clause (3) of article 348 of the Constitution of India)

Government of Himachal Pradesh
Department of Information Technology

No.IT-B(1)-3/2013 **Dated Shimla-13, the 25th July, 2017**

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by provision to article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment & Promotion Rules for the post of Assistant Programmer, Class-III (Non-Gazetted) in the Department of Information Technology, Himachal Pradesh as per **Annexure-"A"** attached to this notification, namely:-

1. Short title and Commencement:
   1. These rules may be called the Himachal Pradesh Information Technology Department, Assistant Programmer, Class-III (Non-Gazetted) Recruitment & Promotion Rules, 2017.
   2. These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

By Order

Pr. Secretary (Information Technology) to the Government of Himachal Pradesh

Endst. No.IT-B(1)-3/2013 **Dated Shimla-13, the July, 2017**

Copy forwarded for information and necessary action to:-

1. All the Administrative Secretaries to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-02.
2. The Secretary, Public Service Commission, Shimla-02.
3. The Director, Department of Information Technology, Shimla-13.
4. The Controller, Printing & Stationer Department, H.P., Shimla-05 for publication in H.P. Rajpatra (Extraordinary). He is requested that 3 copies of Rajpatra may be supplied to this Department.

5. The JLR-cum-Joint Secretary (Law-opinion) to the Government of Himachal Prdaesh, Shimla.
6. The Sr. Law Officer, Law Department, H.P. Secretariat, Shimla-02.
7. Guard File.

Additional Secretary (IT) to the
Government of Himachal Pradesh.

(294)

ANNEXURE "A"

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF ASSISTANT PROGRAMMER (NON-GAZETTED) CLASS-III, IN THE DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY, HIMACHAL PRADESH.

1	Name of post	Assistant Programmer
2	Number of post	04 (Four)
3	Classification	Class-III (Non-Gazetted) (Non-Ministerial Service)
4	Scale of Pay	(i) Pay Band for regular incumbents: ₹10300-34800 + ₹3,800/- Grade Pay (ii) Emoluments for contract employees: ₹14,100/- P.M. as per details given in Column No.15-A.
5	Whether "Selection" post or "Non- Selection" post	Not applicable
6	Age for direct recruitment	Between 18 and 45 years
	Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis. Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date he / she was appointed as such he / she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his / her such adhoc or contract appointment; Provided further that upper age-limit is relaxable for Scheduled Castes / Scheduled Tribes / Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government; Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector Corporation / Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporation / Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations / Corporations / Autonomous bodies who are / were subsequently appointed by such Corporations / Autonomous bodies and who are / were finally absorbed in the service of such Corporations / Autonomous after initial constitution of the Public Sector Corporations / Autonomous bodies. Note: Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is / are advertised for inviting application or notified to the Employment Exchanges, as the case may be.	
7	Minimum educational and other qualifications required for direct recruit(s)	(a) Essential Qualification(s): Regular course(s) in the following streams from any University / Institution duly recognized by any State / Centre Government:-

		B.E. / B.Tech. (Computer Science / Engineering or Information Technology) / MCA / 'B' or 'C' Level of NIELIT with first Class or at least 60% marks in aggregate or equivalent grade. OR (i) B.E. / B.Tech. in other disciplines with first class or at least 60% marks in aggregate or equivalent grade with one year 'A' level of DOEACC (NIELIT) / Post Graduate Diploma in Computer Science / Applications / Information Technology with first class or at least 60% marks in aggregate or equivalent grade. (ii) Experience of at least one year in Government / Corporate Sector as Assistant Programmer / Programmer / Software Developer. OR (i) Master's Degree in Computer Science / Information Technology (having Mathematics as a subject in Graduation) with first class or at least 60% marks in aggregate or equivalent grade. (ii) Experience of at least two years in Government / Corporate Sector as Assistant Programmer / Programmer / Software Developer. OR (i) B.Sc. (Computer Science or Information Technology) / BCA with first class or at least 60% marks in aggregate or equivalent grade. (ii) Experience of at least three years in Government / Corporate / Private Sector as Assistant Programmer / Programmer / Software Developer. OR (i) Three years Diploma from Polytechnic in Computer Science / Engineering or Information Technology with first class or at least 60% marks in aggregate or equivalent grade. (ii) Experience of at least three years in

296

		Government / Corporate / Private Sector as Assistant Programmer / Programmer / Software Developer. (b) Desirable Qualification: Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.
8	Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of the promotee(s)	Age: Not applicable Educational Qualification: Not applicable
9	Period of probation, if any	(a) Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing. (b) No probation in the case of appointment on contract basis, tenure basis, re-employment after superannuation and absorption.
10	Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion / secondment / transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods:	100% by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.
11	In case of recruitment by promotion / secondment / transfer, grade for which promotion / secondment / transfer is to be made:	Not applicable
12	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Not applicable
13	Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment	As required under the Law.
14	Essential requirement for a direct recruitment	A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.
15	Selection for appointment to post by direct recruitment	Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of interview / personality test, if the

		Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting agency / authority as the case may be, so consider necessary or expedient on the basis of interview / personality test preceded by a screening test (objective type) / written test or practical test or physical test, the standard / syllabus, etc. of which, will be determined by the Commission / other recruiting agency / authority as the case may be.
15-A	Selection for appointment to the post by contract appointment	Notwithstanding anything contained in these Rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:- (I) <u>CONCEPT</u>: (a) Under this policy the Assistant Programmer, in the Department of Information Technology, Himachal Pradesh will be engaged on contract basis initially for one year; which may be extendable on year to year basis. Provided that for further extension / renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed / extended. (b) <u>POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPSSC</u>: The Director, Department of Information Technology, Himachal Pradesh, after obtaining the approval of the Government for filling up the vacant post(s) on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. the Himachal Pradesh Staff Selection Commission, Hamirpur. (c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Recruitment & Promotion Rules. (II) <u>CONTRACTUAL EMOLUMENTS:</u> The Assistant Programmer appointed on contract basis will be paid consolidated fixed amount @₹14,100/- P.M. (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). An amount of ₹423/- (3% of the minimum of pay band plus

grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) <u>APPOINTING / DISCIPLINARY AUTHORITY</u>:

The Director, Department of Information Technology, Himachal Pradesh, will be appointing and disciplinary authority.

(IV) <u>SELECTION PROCESS</u>:

Selection for appointment to the post in the case of contract appointment shall be made on the basis of interview / personality test or if considered necessary or expedient on the basis of interview / personality test preceded by a screening test (objective type) / written test or practical test or physical test, the standard / syllabus, etc. of which, will be determined by the concerned recruiting agency i.e. the Himachal Pradesh Staff Selection Commission, Hamirpur.

(V) <u>COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS</u>:

As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the Himachal Pradesh Staff Selection Commission, Hamirpur, from time to time.

(VI) <u>AGREEMENT</u>:

After selection of a candidate, he / she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these Rules.

(VII) <u>TERMS AND CONDITIONS:</u>

(a) The contractual appointee will be paid consolidated fixed contractual amount @₹14,100/- per month (which shall be equal to initial of the pay band + grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount ₹423/- (3% of the minimum of pay band plus grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior / selection scales etc. will be given.

(b) The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance / conduct of the contract appointee is not found

satisfactory.

(c) Contract appointee will be entitled for one-day's casual leave after putting in one month's service. However, the contractual appointee will also be entitled for 135 days' Maternity Leave, 10 days Medical Leave and 5 days Special Leave. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (Irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical officer. He / she shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind, except above, is admissible to the contractual appointee.

Provided that the un-availed Casual Leave, Medical Leave and special leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar year.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his / her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his / her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty.

Provided that he / she shall submit the certificate of illness / fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

(e) An official appointed on contract basis, shall be eligible for consideration for transfer after completion of three years of

		service on need basis and against vacant posts or wherever required on administrative grounds. (f) Selected candidate will have to submit a certificate of his / her fitness from a Government / Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer / Practitioner. (g) Contract appointee will be entitled to TA / DA if required to go on tour in connection with his / her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale. (h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this column.
16	Reservation	The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes / Scheduled Tribal / Other Backward Classes / other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17	Departmental Examination	Not applicable
18	Power to relax	Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).

*****

301

हिमाचल प्रदेश सरकार
सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग

संख्याः आई.टी.–बी.(1) 3/2013 दिनांकः शिमला–2, 25 जुलाई, 2017

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबन्ध–''क'' द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश सूचना एवं प्रोद्योगिकी विभाग में सहायक प्रोग्रामर, वर्ग–III (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपबन्ध–"क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ। 1.(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग सहायक प्रोग्रामर, वर्ग–III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

आदेश द्वारा,

प्रधान सचिव (सूचना प्रौद्योगिकी)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

302

पृष्ठांकन सं०: यथोपरि।   तारीख शिमला–2,   जुलाई, 2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को अग्रेषित हैः–

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार।
2. सचिव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, शिमला–2 ।
3. निदेशक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला–13
4. नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश शिमला–5 को राजपत्र हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में प्रकाशनार्थ। उनसे अनुरोध है कि राजपत्र की तीप प्रतियां इस विभाग को भेजी जाएं।
5. संयुक्त विधि परामर्शी एवं संयुक्त सचिव (विधि–परामर्श) हिमाचल प्रदेश सरकार।
6. उप विधि परामर्शी एवं उप सचिव (विधि–राजभाषा) हिमाचल प्रदेश सरकार।
7. सहायक विधि परामर्शी एवं अवर सचिव (विधि–राजभाषा) हिमाचल प्रदेश सरकार।
8. वरिष्ठ विधि अधिकारी विधि विभाग (राजभाषा खण्ड) हिमाचल प्रदेश सचिवालय।

Ulcray

अतिरिक्त सचिव (सूचना प्रौद्योगिकी)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

उपाबन्ध–"क"

हिमाचल प्रदेश सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग में सहायक प्रोग्रामर वर्ग–III (अराजपत्रित) के पद के भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. पद का नामः		सहायक प्रोग्रामर
2. पद (पदों) की संख्याः		4 (चार)
3. वर्गीकरणः		वर्ग– III (अराजपत्रित)
4. वेतनमानः	(i)	नियमित पदधारी (पदधारियों) के लिए पे बैण्ड : ₹ 10,300–34,800 जमा ₹ 3800/–ग्रेड पे ।
	(ii)	संविदा कर्मचारियों के लिए उपलब्धियाँः स्तम्भ संख्या 15–क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार ₹ 14100/–प्रतिमास ।
5. "चयन" पद अथवा "अचयन" पद		लागू नहीं।
6. सीधी भर्ती के लिए आयुः		18 से 45 वर्षः

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह उसकी ऐसी तदर्थ या संविदा पर की गई नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा में, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गो के लिए, उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जाएगा जितना की हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय हैः

परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में ऐसी ही रियायत अनुज्ञात की जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है। ऐसी रियायत, तथापि पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को अनुज्ञेय नहीं होगी जो तत्पश्चात ऐसे निगमों/स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे।

305

टिप्पण: सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें कि पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

7.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम भौक्षिक और अन्य अर्हताएं:	(क) <u>अनिवार्य अर्हता(एं):</u> किसी राज्य सरकार / केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय / संस्थान से विद्या की निम्नलिखित शाखा में नियमित पाठ्यक्रम; प्रथम श्रेणी या कुल मिलाकर कम से कम साठ प्रतिशत अंक या इसके समतुल्य ग्रेड के साथ बी.ई. / बी.टैक (कम्पयूटर विज्ञान / इंजीनियरिंग या सूचना प्रौद्यागिकी) / एम.सी.ए. / नीलिट से 'बी' या 'सी' स्तर का कोर्स या (i) अन्य अनुशासनों में प्रथम श्रेणी या कुल मिलाकर कम से कम साठ प्रतिशत अंक या इसके समतुल्य ग्रेड के साथ बी.ई. / बी.टैक से साथ–साथ डोएक (नीलिट) से एक वर्शीय कोर्स / कम्पयूटर विज्ञान / एप्लीकेशन / सूचना प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी या कुल मिलाकर साठ प्रतिशत अंक या इसके समतुल्य ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर डिप्लोमा । (ii) सहायक प्रोग्रामर / प्रोग्रामर / सॉफ्टवेयर डिवेल्पर के रूप में सरकारी / निगमित सेक्टर में कम से कम एक वर्श का अनुभव। या (i) कम्पयूटर विज्ञान / सूचना प्रौद्योगिकी (जिसमें स्नातक में गणित एक विशय के रूप में हो) में प्रथम श्रेणी या कुल मिलाकर कम से कम साठ प्रतिशत अंक या इसके समतुल्य ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर उपाधि। (ii) सहायक प्रोग्रामर / प्रोग्रामर / सॉफ्टवेयर डिवेल्पर के रूप में सरकारी / निगमित सेक्टर में कम से कम दो वर्ष का अनुभव। या

(i) प्रथम श्रेणी या कुल मिलाकर कम से कम साठ प्रतिश अंक या इसके समतुल्य ग्रेड के साथ बी.एस.सी.(कम्पयूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी)/बी.सी.ए.।

(ii) सहायक प्रोग्रामर/प्रोग्रामर/सॉफ्टवेयर डिवेल्पर के रूप में सरकारी/निगमित/प्राइवेट सेक्टर में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव।

या

(i) कम्पयूटर विज्ञान/इंजीनियरिंग या सूचना प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी या कुल मिलाकर कम से कम साठ प्रतिशत अंक या इसके समतुल्य ग्रेड के साथ बहुतकनीकी संस्थान से तीन वर्षीय डिप्लोमा।

(ii) सहायक प्रोग्रामर/प्रोग्रामर/सॉफ्टवेयर डिवेल्पर के रूप में सरकारी/निगमित/प्राइवेट सेक्टर में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव।

(ख) वांछनीय अर्हता(एं) :

हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी या नहीं :	आयुः लागू नहीं। शैक्षिक अर्हताएंः लागू नहीं।

9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	(क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दें। (ख) संविदा के आधार पर, सेवाधृति के आधार पर नियुक्ति पर, अधिवर्शिता के पश्चात् पुनर्नियोजन पर और आमेलन पर कोई परिवीक्षा नहीं होगी।
10.	भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, सैंकेण्डमैंट, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतताः	शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।
11.	प्रोन्नति / सैंकेण्डमैंट / स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति / सैंकेण्डमैंट / स्थानान्तरण किया जाएगाः	लागू नहीं।
12.	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचनाः	लागू नहीं।
13.	भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगाः	जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।
14.	सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षाः	किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनः

सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो पूर्व में ली गई छन्टनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)/लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा/भारीरिक परीक्षण के अनुसार साक्षात्कार /व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि, यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

15–क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनः

इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदात्मक नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और भार्तों के अध्यधीन की जाएगीः–

(I) <u>संकल्पनाः</u>

(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग में सहायक प्रोग्रामर को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्श के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर आगे बढ़ाया जा सकेगाः

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्श के दौरान सन्तोशजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

(ख) **पद का हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के कार्यक्षेत्र से बाहर होनाः**
निदेशक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश रिक्त पद (पदों) को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन इन भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित पात्रता भार्तों के अनुसार किया जाएगा।

(II) संविदात्मक उपलब्धियांः

संविदा के आधार पर नियुक्त सहायक प्रोग्रामर को ₹ 14100/– की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्श से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चात्वर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में ₹ 423/– (पद के बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की रकम वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी

निदेशक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रियाः

सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या यदि, ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो पूर्व में ली गई छन्टनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)/ लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा/भारीरिक परीक्षण के अनुसार साक्षात्कार /व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिः

जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर द्वारा समय–समय पर गठित की जाए।

(VI) करारः

अभ्यर्थी को चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध–"ख" के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) <u>निबन्धन और शर्ते</u> :

(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को ₹ 14,100/–प्रतिमाह की दर से नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्श/वर्शों के लिए संविदात्मक रकम में ₹ 423/–(पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की रकम वार्षिक वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिश्ठ/चयन वेतनमान, आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी एक सौ पैंतीस दिन के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला अभ्यर्थी पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश

(जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगाः

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्श के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा :

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण–पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

(ङ) संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्श का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण

31

हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त समझी जाएगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों जैसे एफ0 आर0–एस0 आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविश्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथा वर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को सामूहिक बीमा स्कीम के साथ–साथ ई.पी.एफ./जी.पी.एफ. भी लागू नहीं होगा।

16.	आरक्षणः	सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय–समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।
17.	विभागीय परीक्षाः	लागू नहीं।
18.	शिथिल करने की भाक्तिः	जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित

में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्ति/व्यक्तियों के प्रवर्ग या पद/पदों की बाबत, शिथिल कर सकेगी।